**माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) प्रधान बेंच, नई दिल्ली द्वारा O.A.No.- 180/2021 के मामले में दिनांक 07-01-2022 को पारित आदेश के आलोक में COVID-19 जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के निष्पादन एवं सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के अनुश्रवण हेतु सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 22 फरवरी, 2022 ( मंगलवार ) को सम्पन्न प्रथम बैठक का वृत्त।**

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) प्रधान बेंच, नई दिल्ली द्वारा O.A.No.-180/2021 के मामले में दिनांक 07.01.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत COVID-19 जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के निष्पादन एवं सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केन्द्रों के अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियों ने भाग लिया:-

1. श्री गोरख नाथ, सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
2. श्री एस0 चन्द्रशेखर, सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् पटना।
3. श्री विशाल आनन्द, संयुक्त निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार पटना।
4. श्री अजित कुमार समैयार, आप्त सचिव, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना।
5. श्री सुरेन्द्र सिंह, निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना।
6. डा0 विद्यापति चौधरी, प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।
7. श्री पीयुष कुमार चन्दन, सहायक निदेशक, जीव चिकित्सा अपशिष्ट कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।

## बैठक की कार्यवाही

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का अध्यक्ष द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात् सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर O.A.No.- 180/2021 मुकुल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य में दिनांक 07.01.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। पारित आदेश, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत COVID-19 जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के उचित निष्पादन एवं सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केन्द्रों के अनुश्रवण से सम्बन्धित है। बैठक में नियमावली को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने हेतु चर्चा की गयी। O.A.No.- 180/2021 में दिनांक 07.01.2022 को पारित आदेश में उल्लेखित आँकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में कुल 15027 स्वास्थ उपचार सुविधाओं (HCFs) द्वारा अभी भी बिना 'प्राधिकार' (Authorization) प्राप्त किये संचालित है, का उल्लेख है। उक्त 15027 HCFs में से सरकारी 11711 HCFs (APHC एवं HSC) जो अभी तक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राधिकार प्राप्त नहीं की गयी है। जो पूरे देश में सर्वाधिक पाया गया है। विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

(1) निदेशक, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना एवं प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को समिति द्वारा विशेषज्ञ सदस्य के रुप नामित करने का निर्णय लिया गया।

**( अनुपालन - बि०रा०प्र०नि०पर्षद् )**

(2) राज्य में स्थित सभी सरकारी Additional Primary Health Centres (APHCs) एवं Health Sub Centres (HSCs) को जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को तत्काल राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से 'प्राधिकार' (Authorization) प्राप्त करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इसे नहीं करने पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा O.A.No.- 710/2017 दिनांक 15-07-2019 को पारित आदेश के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रुप में स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को प्रत्येक माह रु0 एक करोड़ एवं अन्य दण्डात्मक कार्रवाई के प्रावधान से समिति को अवगत कराया गया।

**( अनुपालन - स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार )**

(3) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा सूचित किया गया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के 'Online Consent Management and Monitoring System (OCMMS)' के माध्यम से आवेदन समर्पित करने में तकनीकी कठिनाईयॉ उत्पन्न होती हैं। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा राज्य स्तर पर ऑनलाईन के माध्यम से एक प्रशिक्षण आयोजन किया जायेगा। इस हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा एक तिथि एवं समय निर्धारित कर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को संसूचित करने का निदेश दिया गया।

**( अनुपालन - राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं बि०रा०प्र०नि० पर्षद् )**

(4) राज्य पर्षद् से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु प्रति आवेदन फीस के रुप में रु0 2000/- देय है, जिसका भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से किया जाना है। शुल्क जमा करने हेतु राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को अपने-अपने Contingent fund से सभी APHCs/HSCs आदि के लिये शुल्क अदायी करने का निदेश दिया गया तथा अविलम्ब सभी सिविल सर्जन अपने अपने जिलों में बिना 'प्राधिकार' (Authorization) प्राप्त किये संचालित APHCs/HSCs को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से 'प्राधिकार' (Authorization) प्राप्त करने के लिये (CBWTFs के साथ सम्बद्ध (Tie-up) के बाद अविलम्ब आवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है। इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वास्थ्य विभाग के सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों से जुर्माना वसूल किया जायेगा।

**( अनुपालन - स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार )**

(5) पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जीव चिकित्सा अपशिष्टों के उपचार हेतु संचालित Captive Treatment System के Secondary chamber का Upgradation नहीं होने के

कारण जीव चिकित्सा अपशिष्टो का समुचित उपचार नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संभव नहीं है।

अतः जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन हेतु राज्य पर्षद् के पत्रांक-बी-52, दिनांक 13.01.2022 द्वारा उक्त Captive Treatment System को बंद करने का निदेश पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को निर्गत किया गया है, तथा साथ ही यह भी निदेशित किया है कि संस्थान से जनित होने वाले जीव चिकित्सा अपशिष्टों के उपचार एवं निपटान हेतु सम्बन्धित CBWTF, संगम मेडिसर्व प्रा0 लि0, पटना से शीघ्र सम्बद्ध (Tie-up) स्थापित कर जनित होने वाले जीव चिकित्सा अपशिष्टों का उपचार एवं निपटान सुनिश्चित किया जाय।

**(अनुपालन - पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल)**

(6) वर्तमान में राज्य में कुल चार सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केन्द्र संचालित है। विगत वर्ष में राज्य पर्षद् द्वारा राज्य में स्थित स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं के सूचीकरण (Inventorization) का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अनुसार राज्य में सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं की कुल संख्या 26478 तथा उसमें शय्या (Beds) की संख्या 104391 चिन्हित की गयी है। शय्या की संख्या के अनुसार राज्य में और सामूहिक जीव चिकित्सा उपचार सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जा सकती है। इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों की शीघ्र स्थापना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

**(अनुपालन - राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार)**

(7) वर्तमान में राज्य में चार सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाएँ पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया में संचालित है तथा तीन Captive Treatment Systems पटना, कटिहार और किशनगंज में संचालित है। इन इकाईयों का संचालन जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, नई दिल्ली द्वारा O.A.No.- 180/2021 में दिनांक 07.01.2022 को पारित आदेश के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करना है। इन इकाईयों का संग्रहण, परिवहन, उपचार, निपटान एवं अन्य अनिवार्य उपाय सुनिश्चित रुप से किया जाय तथा जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के तहत् संचालन में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जाना है।

इसके अनुश्रवण हेतु एक समिति जिसमें राज्य पर्षद् के दो पदाधिकारियों (वैज्ञानिक) एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के जीव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन से सम्बन्धित पदाधिकारी शामिल होगें के गठन का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा राज्य में स्थित सभी सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं एवं पटना, कटिहार तथा किशनगंज में स्थित तीन Captive Treatment Systems का निरीक्षण अगले एक माह के अन्दर Transportation System, Collection Mechanism and Capacity to Treat the Bio-

Medical Waste का अद्यतन जॉच प्रतिवेदन, गठित राज्य स्तरीय समिति को समर्पित करने का निदेश दिया गया।

**( अनुपालन - राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं बि०रा०प्र०नि० पर्षद् )**

(8) सभी जिला पदाधिकारियों एवं सिविल सर्जनों को निदेश दिया गया है कि ऐसे सभी स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं (HCFs) जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् (BSPCB) से बिना 'प्राधिकार' (Authorization) प्राप्त किये, अवैध रुप से संचालित है, की सूची बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राप्त कर, उसे बन्द करने की कार्रवाई की जाय। साथ ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को निदेश दिया है कि 'प्राधिकार' प्राप्त स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं (HCFs) की सूची स्वास्थ्य विभाग/ राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/ सभी जिला पदाधिकारियों/ सभी सिविल सर्जनों को उपलब्ध करायी जाय ताकि शेष सभी HCFs के सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके।

**( अनुपालन- सभी जिला पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/बि०रा०प्र०नि०पर्षद् )**

(9) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् (BSPCB) को निदेश दिया गया है कि उनके स्तर से 'प्राधिकार' (Authorization) प्राप्त करने एवं बिना 'प्राधिकार' (Authorization) के संचालित HCFs पर कार्रवाई करने हेतु स्वास्थ्य विभाग/ जिला पदाधिकारियों/ राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/ सिविल सर्जनों से की गई पत्राचार/ समाचार-पत्रों में दिये गये विज्ञापनों तथा राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (SLAC) में लिये निर्णयों (बैठक की वृत) आदि की एक प्रति अध्यक्ष-सह-सचिव, स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

**( अनुपालन - बि०रा०प्र०नि० पर्षद् )**

(10) मधेपुरा एवं कोईलवर (भोजपुर) में सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों को शीघ्र स्थापित करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को निदेश दिया गया। अगली बैठक में इस पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाय।

**( अनुपालन- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार )**

(11) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् (BSPCB) के पृच्छा पर सूचित किया गया है कि दिनांक 17.11.2021 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय के अनुपालन में अभी तक पटना में एक नये सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र (CBWTF) की स्थापना हेतु Expression of Interest (EoI) आमंत्रित नहीं किया गया है।

**( अनुपालन- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार )**

(12) श्री सुरेन्द्र सिंह, भा0व0से0, निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) बिहार, पटना द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सुझाव दिया गया कि सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र (CBWTF) की स्थापना निजी

जमीन पर कोई व्यक्ति स्थापित करना चाहते हैं, उसे भी प्रोत्साहित करने के विकल्प पर विचार किया जाय ताकि राज्य में आवश्यक संख्या में सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र (CBWTF) स्थापित हो तथा जीव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार एवं निष्पादन उचित ढ़ंग से हो सके।

**(अनुपालन- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार)**

(13) अध्यक्ष द्वारा राज्य स्तरीय समिति की अगली बैठक एक माह के पश्चात आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

8/3/22

( गोरख नाथ )
सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

ज्ञापांक

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3/22

(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

ज्ञापांक B-465

पटना, दिनांक :- 09.3.22

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का नियमित रुप से अनुश्रवण एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठकों को नियमित रुप से आयोजन किया जाय ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (NGT) के आदेश उल्लंघन का मामला नहीं हो।

08/3/22

(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्